# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

रेक्टिफिकेशन संख्या 50/2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान–मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि. जयपुर बनाम् वा.क.अ., घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.06.2014 | **एकलपीठ**<br>**श्री मदन लाल, सदस्य**<br>प्रार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री टी.सी.जैन एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित।<br>प्रार्थी द्वारा यह परिशोधन आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा प्रार्थी व्यवहारी के प्रकरण **अपील संख्या 152/2014/जयपुर आदेश दिनांक 06.03.2014** के संबंध में प्रस्तुत कर, पारित आदेश को परिशोधित करने का निवेदन किया गया है ।<br>उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।<br>प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा उक्त पारित आदेश **दिनांक 06.03.2014** में पर्याप्त जमानत निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप प्रस्तुत करने की दशा में ही, बकाया वसूली योग्य मांग राशि **₹2,09,339/–** की वसूली पर रोक लगाने का आदेश प्रदान किया गया था । कथन किया कि प्रार्थी व्यवहारी केन्द्रीय सरकार का एक लोक उपक्रम है जिसे जमानत प्रस्तुत करने की विधिक आवश्यकता नहीं है। अपने कथन के समर्थन में **राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 प्रभावी दिनांक 15.04.2011** की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, की धारा 38(4) में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है:– **" Provided further that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government.** विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त संशोधन के आलोक में, माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा प्रार्थी के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक **06.03.2014** को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी ।<br>अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा भी उक्त तर्क का समर्थन कर, पारित आदेश दिनांक **06.03.2014** को परिशोधित करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी ।<br>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी व्यवहारी के केन्द्रीय सरकार के लोक उपक्रम होने के कारण **राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 के संशोधन प्रभावी दिनांक 15.04.2011** के प्रकाश में, अधिनियम की धारा 38(4) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की विधिक आवश्यकता नहीं है। **अतः प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवम् पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की शर्त आदेश दिनांक 06.03.2014 से विलोपित की जाती है ।**<br>आदेश सुनाया गया।<br>16.6.2014<br>( मदन लाल )<br>सदस्य | |